प्रेस नोट - जनपद मीरजापुर

संख्या:- 36/2020 **दिनांक:- 31.08.2020**

दिनांक 29.08.2020 को ग्राम खाजगीपुर थाना अहरौरा में हुई रामवृक्ष पटेल की हत्या का अनावरण

दिनांक 29.08.2020 को थाना अहरौरा के खाजगीपुर गांव में रामवृक्ष पटेल 55 वर्ष की धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गयी थी, जिसके संबंध में मृतक की पत्नी बिन्दो देवी की तहरीर के आधार पर थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-145/2020 धारा 302 भा0द0वि0 बनाम 02 अज्ञात अभियुक्तगण के पंजीकृत किया गया था। विवेचना व भौतिक साक्ष्यों व पतारसी सुरागरसी से यह ज्ञात हुआ कि उक्त घटना में परिवार के किसी सदस्य का आपराधिक कृत्य है, साक्ष्यों के प्रमाणित होने पर कि मृतक के पुत्र जयहिन्द पटेल उर्फ दादा ने ही अपने साथी अजीत कुमार मौर्या के साथ मिलकर पिता की हत्या, पैतृक सम्पति में हिस्सा न पाने की रंजीश की वजह से ही की है। आज दिनांक 31.08.2020 को समय 08.15 बजे अभियुक्त जयहिन्द पटेल व अजीत कुमार मौर्य को आनन्दीपुर तिराहे से गिरफ्तार कर जयहिन्द की निशानदेही पर घर के कमरे में से ही लकड़ी के पाटन के उपर छुपा कर रखे गये आलाकत्ल लोहे के रम्मे को बरामद किया गया।

विवरण पूछताछ व घटनाक्रम-

अभियुक्तगण से घटना के संबंध में पूछताछ की गयी तो घटना कारित करने के बारे में जयहिन्द पटेल ने बताया कि मै मृतक का छोटा पुत्र हु बाहर काम करता था पर नशे की वजह से मै अपने पिता से अपना हिस्सा मांग रहा था, पर नशेड़ी होने के कारण मेरे पिता रामवृक्ष पटेल बटवारा नही करना चाहते थे जिससे मुझे काफी रंज था इस पर मै अपने मित्र अजीत कुमार मौर्या के साथ मिलकर हत्या का योजना बनाया क्योकि उनके जीवित रहते हिस्सा मिलना मुश्किल था अत: घटना की रात्रि रम्मा से अपने मित्र के साथ मिलकर अपने पिता की रात में ट्यूबेल पर सोते समय हत्या कर दी और अपने पुश्तैनी घर मे आकर रम्मा पाटन पर छुपा दिया, मेरी मां बिन्दो देवी को मेरा मित्र अजीत मौर्या गले से पकड़े हुए था और मुंह को हाथ से दबाये हुए था, अभियुक्त द्वारा हत्या करना स्वीकार किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

जयहिन्द सिंह पटेल उर्फ दादा पुत्र स्व0 रामवृक्ष पटेल निवासी खाजगीपुर थाना अहरौरा मीरजापुर। उम्र-25 वर्ष

अजीत कुमार मौर्य उर्फ गोलू पुत्र चन्द्रशेखर मौर्या निवासी खाजगीपुर थाना अहरौरा मीरजापुर। उम्र-20 वर्ष

गिरफ्तारी व बरामदगी का स्थान व समय-

दिनांक 31.08.2020 समय 08.15 बजे, स्थान आनन्दीपुर तिराहा, थाना अहरौरा

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल रम्मा (लोहे का)

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण

थाना अहरौरा पुलिस टीम

1-थानाध्यक्ष राजेश जी चौबे थाना अहरौरा

2-उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह थाना अहरौरा

3-का0 भानू प्रताप यादव थाना अहरौरा

4-का0 सतीश पाल थाना अहरौरा

5-का0 मनीष सिंह थाना अहरौरा

स्वाट / सर्विलांस टीम

1-उ0नि0 रामस्वरूप वर्मा प्रभारी स्वाट टीम

2- का0 बृजेश सिंह स्वाट टीम

3-का0 विरेन्द्र सरोज स्वाट टीम

4- का0 राज सिंह राणा स्वाट टीम

5-का0 राजेश यादव स्वाट टीम

6-का0 रविसेन सिंह स्वाट टीम

7- का0 संदीप राय स्वाट टीम

8-का0 नितिल सिंह सर्विलांस टीम

एस0ओ0जी0 टीम

1-उ0नि0 जयदीप सिंह एस0ओ0जी0 टीम

2-का0 लालजी यादव एस0ओ0जी0 टीम

3-का0 अजय यादव एस0ओ0जी0 टीम

4-का0 मनीष सिंह एस0ओ0जी0 टीम

नोट— घटना का अनावरण कर गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को ₹ 10000/- के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।